न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–76 / 2017 (2017 / 00215) वाद पत्र

अनवान

1. नाथु आत्मज हजारी जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा आत्मज हजारी जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. मियाचन्द आत्मज गोकल जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश आत्मज भैरू जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. हरिश टेलर – प्राथीगण अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद – विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः–11.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रालीखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 406 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 407 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 408 रकबा 0.05 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 28 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 तक मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात वादीगण के ही आधिपत्य में चली आ रही थी किन्तु दिनांक 20.02. 2012 को प्रतिवादीगण ने उक्त वर्णित आराजियात के आसपास उनकी आराजियात होने से वादीगण की उक्त आराजियात के व प्रतिवादीगण के बीच स्थित डोल को ढसा कर उक्त वर्णित आराजियात मे से आराजी संख्या 406 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 407 रक़बा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 को प्रतिवादी संख्या 1 मियाचन्द ने कब्जे में लेकर आराजी संख्या 434, 435, 436, 437 में मिला लिया तथा वादीगण की आराजी संख्या 408 प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश जाट ने कब्जे में लेकर आराजी संख्या 433 में मिला लिया प्रतिवादीगण को रोकने का प्रयास किया तो उन्होने कहा कि ये भूमियां हमारे नाप में आ रही है। वादीगण द्वारा दिनांक 05.03.2012 को न्यायालय श्रीमान के यहां पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 29 / 2012 होकर दिनांक 03.05. 2012 को स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान फरमाया गया जिसकी पालना में दिनांक 19.06.2015 को वादीगण की उक्त आराजियात की आईएलआर मोखुन्दा व पटवारी हल्का गलवा द्वारा मौतबिरान व प्रतिवादीगण के समक्ष पत्थरगढ़ी की गई जिसमें आराजी संख्या 406, 407 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का व आराजी संख्या 408 रकबा 0.05 है0 पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा पाया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति साथ प्रस्तुत है। वादीगण की उक्त आराजियात के वादीगण खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर इस भूमियो पर जबरन बालात आधिपत्य कर [illegible] व इन भूमियो पर अतिक्रमी है जिससे उनके द्वारा कब्जा नही हटाने से वादीगण ने [illegible] किया है और कब्जेयापी की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादीगण [illegible] सादर [illegible] है कि कब्जेयापी की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय [illegible] ग्राम रालीखेड़ा [illegible] वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 406, 407, 408 [illegible] किता 3 कुल रकबा [illegible] है0 भूमि से प्रतिवादीगण अपना स्वयं कब्जा हटावे या वादीगण को सिपूर्द करे और प्रतिवादीगण द्वारा उसके बावजुद कब्जा नही हटाने पर तहसीलदार रायपुर के जरिये प्रतिवादीगण का कब्जा हटाकर वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:30 IST
Reason: SelfAttested

को सिपूर्द कराया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम रालीखेड़ा की आराजी संख्या 406, 407, 408 पर कोई निर्माण कार्य नही करे तथा वादीगण की ईच्छा के विरूद्व किसी प्रकार का कोई बदलाव वादवर्णित आराजियात का नही करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री फारूख मोहम्मद अधिवक्ता उपस्थित जिनके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि प्रतिवादी के द्वारा इस वाद से पूर्व ही एक वाद न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया है जिनके नम्बर 59/2017 दर्ज होकर विचाराधीन है। इस मूलवाद में वादी की ओर से वर्णित तथ्यो को ही इस वाद में प्रतिवादी की ओर से जवाब को मानते हुए दोनो वाद को संकलित किये जावे। प्रतिवादी संख्या 2 बावजुद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में साबिक रेकार्ड और पत्थरगढ़ी पर्चा मौका व जमाबन्दी की नकल पेश की गई।

दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ताओ को तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन कराया गया जिस पर अधिवक्ताओ द्वारा सहमति व्यक्त की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद को स्वीकार कर वादीगण को प्रतिवादीगण से कब्जा दिलाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि वर्तमान में आराजी संख्या 406 की तरमीम कर रखी है वो प्रतिवादी 1 की खातेदारी आराजी संख्या 436 के बीच में कर रखी है जिसको आराजी संख्या 436 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे उस रकबे के अनुपात में समान्तर की जावे जिसमें विपक्षी को कोई आपत्ति नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया इस प्रकरण से सम्बधित एक अन्य वाद प्रकरण संख्या 59/2017 न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें इस प्रकरण में वर्णित प्रतिवादी 1 (वादी) है जिसमें मौका रिपोर्ट मंगवाई जिसका अवलोकन किया तो पाया कि इस प्रकरण में वादीगण की आराजी संख्या 406 एवं 407 पर प्रतिवादी 1 का कब्जा पाया गया है जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी है किन्तु वादी की आराजी संख्या 406 की तरमीम प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी संख्या 436 की दक्षिणी मेड़ के सामान्तर नही होने से भविष्य में विवाद की संभावना को मध्यनजर रखते हुए वादी की आराजी संख्या 406 की तरमीम आराजी संख्या 436 की दक्षिणी मेड़ मेड़ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम तरफ दुरस्त करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम रालीखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 406 रकबा 0.19 है0 की तरमीम आराजी संख्या 436 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की तरफ करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद प्रकरण संख्या 59/2017 में पारित निर्णय एवं डिकी की पालना करते हुए वादीगण को आराजी संख्या 406, 407, 408 का कब्जा दिया [illegible] वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करें। इसी अनुसार डिकी [illegible] है।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:30 IST
Reason: SelfAttested

11.08.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—76/2017 (2017/00215) वाद पत्र

अनवान

1. नाथु आत्मज हजारी जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा आत्मज हजारी जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. मियाचन्द आत्मज गोकल जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश आत्मज भैरू जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम रालीखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 406 रकबा 0.19 है0 की तरमीम आराजी संख्या 436 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की तरफ करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद प्रकरण संख्या 59/2017 में पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना करते हुए वादीगण को आराजी संख्या 406, 407, 408 का कब्जा दिया जावे और प्रतिवादी 1 एव 2 वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करें।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.08.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:30 IST
Reason: SelfAttested